न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 102/2017

1. बलवंतराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. गेपालराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी चक 36 पी.एस. हाल समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. रामचन्द पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी चक 36 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. पूर्णराम } पिसरान मनीराम
4. हीरालाल }
5. राजाराम }
6. मीरा पत्नी गोपालराम

(3 से 6) जाति जाट निवासीगण समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

7. प्रमोद पत्नी इन्द्राज जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं.16 घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ 1956

विरूद्ध आदेश अति0 कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

दिनांक 12.07.2017

उपस्थितः—

श्री हेतराम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री रणजीतसिंह सोनी अभिभाषक रेस्पो. संख्या—2

22/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री विनोद सींवर अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 से 7

निर्णय दिनांक 22.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. सं. 2 ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी के पिता के नाम 66.13 बीघा भूमि है, अप्रार्थी के पिता श्योलाल की मृत्यु हो चकी है जिसका एक मात्र वारिस अप्रार्थी मनफूल है, अप्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि 66.13 बीघा है फिर भी उसने तथ्य छिपाकर चक लखा टिब्बा में दिनांक 18.07.1992 को मु.नं. 445 में कि.नं. 1 से 25 की 6.325 है0 भूमि आवंटन करवाई है। अतः जांच कर उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने प्रकरण जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित कर दिया। सुनवाई करने के पश्चात अति.कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.07.2017 को मनफूलराम के धारण में से 54.08 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्युम करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। मनफूलराम का देहान्त दौराने मुकदमा दिनांक 06.05.2002 को हो गया था शिकायतकर्ता ने निर्धारित अवधि में न तो मनफूल के वारिस आशादेवी को रेकार्ड पर लिया और न ही कोई नोटिस जारी किया गया। आशादेवी ने वर्ष 2002 में विभिन्न बैयनामाजात से भूमि अपीलांट व रेस्पो. संख्या 3 से 6 को विक्रय कर दी। खरीद के पश्चात खरीददारों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय

22/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 1997 आरआरडी 195, 1992 आरआरडी 266, 1999 डीएनजे राज. पेज 509, 2016 आरआरडी 787 की नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मनफूलराम ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया था जिसकी शिकायत होने पर बाद जांच अधी. न्यायालय ने आवंटन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है।

रेस्पो. संख्या–2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मनफूल ने आवंटन तथ्यों को छिपाकर कराया था जिसकी जांच होने पर अधी.न्यायालय ने आवंटन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अप्रार्थी के पास पहले से ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी उसके द्वारा तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया था। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध 11.10.2017 को पेश की है जिसके लिए अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय अति.कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 (False information by tenant)की शिकायत

22/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

एवं शिकायत के परिणाम स्वरूप इसी अधिनियम की धारा 14 (Penalty for breach of condition) में अपीलांट की आवंटन के अलावा धारित भूमि रिज्युम करने के आदेश दिये है जबकि धारा 11 पठित धारा का Scope जिस आवंटन की शिकायत की गई है उस आवंटन को निरस्त करने तक ही सीमित होने से अधी.न्यापालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 पठित धारा 14 की शिकायत की जांच एवं उसके निस्तारण से सम्बन्धित है।

शिकायत का सार मनफूलराम पुत्र श्योलाल को दिनांक 18.07.1992 को चक लखा टिब्बा रायसिंहनगर के मु.न. 445 की 25 बीघा भूमि का आवंटन भूमिहीन काश्तकार बताकर करवाया गया था जबकि मनफूलराम के पास 66.13 बीघा भूमि पहले से ही मौजूदा थी । अतः मनफूलराम को मिसल नं. 957/92 द्वारा 6.325 है0 भूमि आवंटन खारिज योग्य होना दर्शाया है।

चूंकि शिकायत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 पठित धारा 14 के तहत की गई है एवं निर्णय भी इन्हीं धाराओं में किया गया है। अतः उपरोक्त दोनों धाराओं की Bare-reding का अध्ययन अपरिहार्य है यथा धारा

11- False information by the tenant.- If any person who, after the commencement of this Act, has been put in possession of land ina colony as a tenant, shall have given false information intending or having reason to believe that any officer of the State Government may be thereby deceived rerarding his qualifications to become a tenant, he shall be deemed to have committed a breach of the conditions of his tenancy

आवंटी मनफूलराम ने इस material fact को छिपाया है कि वह भूमिहीन काश्तकार नहीं था यह तथ्य छिपाने पर इसी अधिनियम की धारा 14 Penalty for breach of conditions.- When the Collector is satisfied that a tenant in possession of land in a colony has committed a breach of the conditions of his tenancy , he may, after giving the tenant an opportunity to appear and state his objection ,-

22/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(i) impose on the tenant a penalty not exceeding [two thousand rupees,] or

(ii) order the resumption of the tenancy.

अर्थात उसे आवंटित 25 बीघा भूमि अधिग्रहण की जा सकती है क्योंकि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम (Allotment and sale of government land in the Indira Gandhi canal coloiny area) Rules 1975 के नियम 5 (1) के प्रावधानानुसार एक भूमिहीन काश्तकार को 25 बीघा (6.325 है0) भूमि आवंटित की जा सकती है इस 25 बीघा के आवंटन की पात्रता में उसके द्वारा भारत के किसी हिस्से में धारित भूमि को जोड़ने से वह भूमि 25 बीघा से ज्यादा नहीं हो सकती, अर्थात आवंटन की पात्रता की गणना में धारित भूमि एवं आवटित भूमि 25 बीघा हो सकती है अगर आवेदन के पास 25 बीघा से ज्यादा भूमि already है तो उसकी आवंटन की पात्रता शून्य होगी। परन्तु अधी. न्यायालय ने आवंटित भूमि तो अधिग्रहित नहीं की परन्तु उसकी already held भूमियों की गणना 25 बीघा तक कर शेष 54 बीघा भूमि अधिग्रहित की जो न केवल Bad deicision है अपितु Vague deicision भी है जो न्याय की अवधारणा कि न्याय न सिर्फ किया जाय अपितु न्याय दिखना भी चाहिए। यह न्यायालय इसे अपीलांट के साथ अन्याय होना महसूस करता है।

उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11 की शिकायत शत प्रतिशत सही प्रमाणित होने पर इसी अधिनियम की धारा 14 में तथ्यों को छिपाकर किया गया आवंटन निरस्त योग्य है न कि उसके द्वारा धारित अन्य भूमियां। अतः मनफूलराम द्वारा already held भूमियां एवं उनके बेचान, वसीयत या अन्य dispositions को अधी. न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं मानते हुए भूमि का रेकार्ड में अमल भी नहीं होना रेकार्ड से प्रमाणित है। उपरोक्त तथ्यों के अलावा अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया कि पत्रावली पर उपलब्ध वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 18.05.2002 अनुसार मनफूलराम की मृत्यु दिनांक 06.05.2002 को होकर उसकी वारिस उसकी पत्नी आशादेवी को दर्शाया है। मियाद अधिनियम 1963 डिवीजन III के पार्ट I के SN 120 के प्रावधानुसार मृत्यु के 90 दिन के अन्दर मनफूलराम के कायम मुकाम रेकार्ड पर लाना आज्ञापक है इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय की

22/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली के पृष्ठ ए6/1 व 6ए/2 संदर्भित है जिसममें लिखा है कि मनफूल का देहान्त हो चुका है। यह तथ्य अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.06.2008 में भी अंकित है जिसमें तहसील से वारिसान की रिपोर्ट तलब की गई है त्रुटिपूर्ण है, सिविल प्रकिया संहित 1908 के आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानुसार शिकायतकर्ता को 90 दिन के अन्दर–अन्दर मनफूलराम के वारिसान यथा उनकी पत्नी को पक्षकार बनाना जरूरी था जो नहीं बनाने पर इसी नियम 4(3) के प्रावधानुसार शिकायत प्रार्थना पत्र का उपशमन विधिक निस्तारण है जो अधी. न्यायालय को शिकायतकर्ता अथवा उसके अभिभाषक द्वारा विधिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर शिकायत इसी स्तर पर खारिज करनी चाहिए थी जो नहीं की जो अधी.न्यायालय की विधिक त्रुटि है।

अगर मनफूलराम की पत्नी बहैसियत मनफूलराम की वारिस रेकार्ड पर आती तो उसके द्वारा किये हस्तान्तरण व सम्बन्धित पक्षकार यथा वर्तमान अपील के अपीलांट व रेस्पों संख्या 3 से 7 भी रेकार्ड पर आकर सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 का नुक्स दूर होता जो नहीं होने से शिकायत तकनीकी आधार पर खारिज योग्य थी, जो अधी.न्यायालय ने खारिज न कर पत्रावली को चलाये रखने की विधिक गलती की, जो अपील स्वीकार कर प्रयाप्त आधार है, अपीलाधीन आदेश पारित होने की तिथि को मूल आवंटनी मनफूलराम की मृत्यु हो चकी थी तथा विवादित आराजी उनकी वारिस उनकी पत्नी आशादेवी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार devolve होकर आगे बेचान व अन्य Modes of transfers से हस्तान्तरित हो चुकी थी तथा वर्तमान अपीलांट के हक सृजित हो चुके थे, जिन्हे सुना नहीं गया तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.02.2012 में अप्रार्थी व उसकी पत्नी दोनों फौत हो चुके हैं, परन्तु यह कानूनी तथ्य निर्णय में कहीं विवेचित नहीं हुआ।

पत्रावली के अवलोकन, इस पर उपलब्ध रेकार्ड के विश्लेषण, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-

22/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1. अधी.न्यायालय द्वारा 25 बीघा सीमा तक भूमि रखने की गणना व व्याख्या गलत की है विवेचन अनुसार अधी.न्यायालय द्वारा मनफूलराम द्वारा धारित समस्त भूमियों में से 25 बीघा भूमि उसके पास रखते हुए शेष भूमि 54 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये जबकि आवंटन नियम 1975 के नियम 5(1) के अनुसार पात्रता निर्धारित की है जिसमें उसके द्वारा धारित भूमि को मिलाकर 25 बीघा भूमि आवंटन की पात्रता बनती है। अतः अगर कोई धारा 11 की शिकायत प्रमाणित होने पर आवंटी मनफूलराम को तहसील रायसिंहनगर के चक लखा टिब्बा के मु.नं. 445 की 25 बीघा इसी अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिग्रहण की जा सकती थी जो अधी. न्यायालय द्वारा नहीं की है जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार आवंटित भूमि का रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। अतः अधी.न्यायालय द्वारा 54.08 बीघा भूमि का अधिग्रहण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 की जांच व 14 के निस्तारण में किया गया अधिग्रहण आदेश नियम विरूद्ध है जो अपास्त योग्य है।
2. मनफूलराम व उसकी पत्नी आशादेवी की मृत्यु की सूचना पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद न तो निर्णय में जिक किया है न ही विधिक कार्यवाही की गई है। शिकायत प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4(3) के प्रावधान अनुसार उपशमन (Abet) योग्य था जो अधी. न्यायालय द्वारा विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार योग्य है।
3. अपीलार्थीगण व रेस्पो. संख्या 3 से 7 वक्त निर्णय विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार थे जिन्हें अधी.न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया। अधी. न्यायालय के निर्णय में सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 कानूनी defect होने से अपील स्वीकार योग्य है।
4. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 व 14 का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर में निहित है जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.1995 को उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश होकर उपखंड अधिकारी द्वारा दर्ज रजिस्टर के आदेश दिये जो क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज योग्य था जो

22/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी को खारिज किया जाना चाहिए था जो दिनांक 25.06.1997 तक उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में सवा दो साल तक क्षेत्राधिकार रहित न्यायालय में चलता रहा जो जिला कलक्टर के आदेश से सुनवाई उनके द्वारा करने के आदेश से पत्रावली हस्तान्तरण हुई है। अतः क्षेत्राधिकार वगैर न्यायालय द्वारा सवा दो साल सुनवाई करना अपील स्वीकृति को बल प्रदान करता है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 4 तक के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.07.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.1.18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर